

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज।
(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)
नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु जनपद न्यायालय, महाराजगंज परिसर में स्थित वाहन स्टैण्ड, दुकान संख्या-1 (फोटोकापी/ फोटो ग्राफी) दुकान संख्या-3 (फोटोकापी/ फोटो ग्राफी) दुकान संख्या-4 (चाय/ नाश्ता कैण्टीन) दुकान संख्या-5 (फल, जूस, चना, सत्तू), दुकान संख्या-6 (चाय/ नाश्ता कैण्टीन), दुकान संख्या-2 स्टेशनरी , एवं 20x20 भू खण्ड, (चाय/ नाश्ता कैण्टीन की दुकान) की नीलामी दिनांक-17.03.2026 को सायंकाल 4:30 बजे निर्धारित शर्तों के अनुसार अधिष्ठान के सभागार में की जायेगी। नीलामी हेतु आवेदन दिनांक 17.03.2026 को अपरान्ह 1:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

नीलामी प्रक्रिया के नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय महाराजगंज की आधिकारिक वेबसाइट <https://maharajganj.dcourts.gov.in/> पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नीलामी से सम्बन्धित अन्य विवरण न्यायालय के सूचना पट्ट अथवा केन्द्रीय नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किये जा सकते हैं। दिनांक 17.03.2026 को होने वाले नीलामी में अधिक से अधिक बोलीदाताओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु नीलामी सूचना को जनपद मुख्यालय के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों एवं प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाये।

1. पहचान पत्र, 2. पैन कार्ड, 3. हैसियत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

नोट:- मु0-50000=00 से कम बोली वाली दुकानों हेतु हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक-26.02.2026

(सियाराम चौरसिया),
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (एस0 सी0/एस0टी0 एक्ट),
महाराजगंज।
26.02.2026

प्रतिलिपि: सूचनार्थ प्रेषित:-

1. जिला सूचनाधिकारी, महाराजगंज को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
2. एन0आई0सी0, महाराजगंज।
3. नगर पालिका महाराजगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. नाजिर तहसील सदर महाराजगंज।
5. मुख्य विकास अधिकारी विकास भवन महाराजगंज।
6. बस स्टेशन, महाराजगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. कलक्ट्रेट नजारत महाराजगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. जिला न्यायालय महाराजगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9. सिस्टम अधिकारी/आई0सी0टी0 स्टाफ जिला न्यायालय महाराजगंज।

(सियाराम चौरसिया),
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (एस0 सी0/एस0टी0 एक्ट),
महाराजगंज।
26.02.2026

कार्यालय नजारत अनुभाग जिला न्यायालय महाराजगंज

दिनांक 25. फरवरी 2026

नीलामी सूचना/शर्तेंवित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु दुकानों के आवंटन की शर्तें:-

1. यह नीलामी दिनांक-01.04.26 से 31.03.2027 तक के लिये प्रभावी होगी।
2. नीलामी में भाग लेने हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा एक हैसियत प्रमाण पत्र पर किसी एक ही दुकान की नीलामी में भाग लेने का अधिकार होगा हैसियत प्रमाण पत्र की सीमा सरकारी बोली से कम नहीं होना चाहिए, यदि किसी को पूर्व में वसूली हेतु वसूली पत्र (RC) जारी हुआ है तो वह नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता।
3. प्रत्येक दुकान जिसकी सरकारी बोली 100,000=00 से उपर हो की जमानत धनराशि 100,000/- रुपये जिस दुकान की सरकारी बोली 100,000=00 से कम हो की जमानत धनराशि 10,000/- रुपये निर्धारित की गयी है जो बोली बोलने से पहले आवेदन के साथ नजारत में जमा करना होगा। नीलामी की अन्तिम बोली बोलने वाले के अलावा शेष बोली दाता की जमानत धनराशि उन्हें वापस कर दी जायेगी।
4. नीलामी की अन्तिम बोली बोलने वाले को कुल धनराशि की आधी धनराशि दिनांक 01.04.2025 को ही जमा करना होगा तथा जमानत राशि को अन्तिम किस्त में जोड़ा जायेगा, तथा शेष धनराशि दो किस्तों में क्रमशः पहली किस्त 15 जुलाई 2026 तक तथा द्वितीय किस्त 30 नवम्बर 2026 तक हर हाल में जमा करना होगा अन्यथा धनराशि जमा न होने की दशा में आवंटन निरस्त कर वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
5. दुकानों के अगल-बगल के साफ-सफाई की व्यवस्था ठेकेदार की होगी।
6. दुकानों के आवंटन एवं भुगतान सम्बन्धी विवाद के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज का निर्णय अन्तिम होगा।
7. ठेके की अवधि अर्थात् 31.03.2027 को समाप्त होते ही 05.00 सायंकाल ठेकेदार को स्थान खाली करना होगा।
8. यह नीलामी जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज के अनुमोदनाधीन मान्य होगी।
9. आवंटित दुकानों में वही व्यवसाय किया जायेगा जिसके लिए वह आवंटित है तथा प्रतिबन्धित या अवैध गतिविधिया नहीं की जायेगी।
10. जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज को अधिकार होगा कि कोई अनियमितता पाये जाने पर किसी भी समय वह ठेका निरस्त कर स्थान खाली करा सकते हैं व जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. प्रत्येक दुकान हेतु विद्युत व्यय नियमानुसार धनराशि/ नियमानुसार-प्रतिमाह की दर से ठेकेदार द्वारा देय होगा तथा निर्धारित कर (यदि कोई होगा) को ठेकेदार को अलग से देना होगा।
12. दुकानें केवल न्यायालय कार्य दिवस में ही खुलेंगी।
13. वाहन/साइकिल स्टैण्ड हेतु क्रमानुसार दर नियत किया जाता है जो किसी भी दशा में अपरिवर्तनीय होगा:-

क्रमांक	वाहन का प्रकार	नियत दर	अवधि
1	साइकिल	रु0-5/प्रति साइकिल	कार्यालय अवधि तक
2	मोटर साइकिल	रु0-10/प्रति मोटर साइकिल	
3	चार पहिया वाहन व अन्य भारी वाहन	रु0-30/प्रति वाहन	

14. कार्यालय कर्मचारियों एवं बार एशोसिएसन के अधिवक्ताओं से कोई वाहन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(सियाराम चौरसिया),

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

विशेष न्यायाधीश (एस0 सी0/एस0टी0 एक्ट),
महाराजगंज।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
महाराजगंज।

द्वारा,

श्रीमान प्रभारी अधिकारी (नजारत अनुभाग),
जनपद न्यायालय, महाराजगंज।

महोदय,

सादर निवेदन है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 समाप्त होने को है, न्यायालय परिसर में स्थित-6 दुकानों तथा साइकिल/स्कूटर/कार स्टैंड एवं पीओसी0 गार्ड रूम के बगल में स्थापित (चाय/नाश्ता कैण्टीन की दुकान)-की नीलामी आगामी वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु की जानी है, नीलामी के सम्बन्ध में दूकानों एवं वाहन स्टैंड की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:-

पश्चिम	उत्तर			(7)	पूरब
	(8) 20x20 भू खण्ड, (चाय/नाश्ता कैण्टीन)				
	(3) फोटो कापी	(2) स्टेशनरी	(1) फोटो कापी		
	(4) कैण्टीन	(5) फल जूस, चना भूजा आदि	(6) कैण्टीन		
	दक्षिण				

चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में दुकानों एवं वाहन स्टैंड की नीलामी की स्थिति 10 प्रतिशत वृद्धि के उपरान्त न्यूनतम धनराशि निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	दुकानों का विवरण	पूर्व में नीलामी की धनराशि 2025-2026	2026-2027 हेतु 10 प्रतिशत वृद्धि के उपरान्त सरकारी बोली
1	साइकिल/स्कूटर/कार स्टैंड -	रुपया-9,63,500/-	रुपया-1059850/-
2	दुकान संख्या, 1 (फोटो कापी/फोटो ग्राफी)-	रुपया-9,75,500/-	रुपया-1073050/-
3	दुकान संख्या, 3 (फोटो कापी/फोटो ग्राफ)-	रुपया-8,31,000/-	रुपया-914100/-
4	दुकान संख्या, 4 (चाय/नाश्ता कैण्टीन)-	रुपया-4,05,000/-	रुपया-445500/-
5	दुकान संख्या, 5 (फल, जूस, चना, सत्तू)-	रुपया-1,40,500/-	रुपया-154550/-
6	दुकान संख्या, 6 (चाय/नाश्ता कैण्टीन)-	रुपया-4,89,500/-	रुपया-538450/-
7	स्टेशनरी दूकान संख्या,-2	रुपया-28,900/-	रुपया-31790/-
8	20x20 भू खण्ड, (चाय/नाश्ता कैण्टीन)-	रुपया-6,40,000/-	रुपया-704000/-

अतः आगामी वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु वाहन स्टैंड तथा दूकानों की नीलामी हेतु आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर समर्पित है।

दिनांक-25.02.2026

(केन्द्रीय नाजिर),

जनपद न्यायालय,
महाराजगंज।

आदेश

केन्द्रीय, नाजिर की आख्या जो प्रभारी अधिकारी, नजारत, द्वारा अग्रसारित है, का अवलोकन किया। केन्द्रीय, नाजिर की आख्या के अनुक्रम में प्रकरण नीलामी समिति, को सन्दर्भित किया जाता है। नीलामी समिति, दिनांक- 17.03.2026 तक न्यायालय परिसर में स्थित वाहन स्टैंड एवं दूकानों की नीलामी हेतु कार्यवाही सम्पादित करें।

माननीय जनपद न्यायाधीश
की सेवा में अग्रसारित

(Signature)

जनपद न्यायाधीश,
महाराजगंज।